न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 07-तीन/2015 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 10-7-2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त रैगॉव तहसील रघुराजनगर जिला सतना - प्रकरण क्रमांक 28 अ-12/13-14

हरकेश अहिरवार पुत्र स्व. रामेश्वर अहिरवार
ग्राम अमौघा कला तहसील रघुराजनगर जिला सतना ---आवेदक

विरूद्ध

1- सेंट माइकल समिति सतना द्वारा अध्यक्ष
जोयल बैंजामित पुत्र जे.बेंजामिन एंव कोषाध्यक्ष
रोमा बेंजामिन पुत्री जे.बेंजामिन निवासी 17/1
पन्ना नाका सतना तहसील रघुराजनगर सतना
2- म0प्र0शासन --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री दिनेश श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 8-2017 को पारित)

राजस्व निरीक्षक, वृत्त रैगॉव तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 28 अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 10-7-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी राजस्व मण्डल में दिनांक 1-1-15 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने राजस्व निरीक्षक वृत्त रैगॉव तहसील रघुराजनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके भूमि सर्वे क्रमांक 389 रकबा 0.502 हैक्टर के सीमांकन की प्रार्थना की। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण क्रमांक 28 अ-12/13-14 पॅजीबद्ध किया एंव सीमांकन उपरांत आदेश

दिनांक 10-7-2014 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो के संलग्न अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि सीमांकन की सूचना राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को नहीं दी। सीमांकन के काफी दिनों वाद जब आवेदक के विरूद्व धारा 250 का दावा प्रस्तुत हुआ एंव दिनांक 12-9-14 को समन प्राप्त हुआ तथा जब आवेदक तहसील में उपस्थित हुआ एंव एक दो पेशियों के वाद अभिभाषक को सीमांकन की प्रति उपलब्ध कराई गई, तब जाकर सीमांकन आदेश की जानकारी हुई एंव नकल प्राप्ति हेतु आवेदन दिया किन्तु उसे नकल न मिलने के कारण रसीद की छायाप्रति के आधार पर निगरानी जानकारी के दिन से समयावधि में प्रस्तुत की गई है इसलिये विलम्ब क्षमा किया जावे।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक भूमि सर्वे कमांक 389 का मेढ़िया कास्तकार नहीं है तथा तहसीलदार वृत्त रैगॉव से दिनांक 5-9-14 को आवेदक को नोटिस मिल चुका है उसके 150 दिन वाद निगरानी बेरूम्याद है इसलिये निगरानी निरस्त की जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में स्वयं स्वीकार किया है कि सीमांकन के काफी दिनों वाद जब आवेदक के विरूद्व धारा 250 का दावा प्रस्तुत हुआ एंव दिनांक 12-9-14 को समन प्राप्त हुआ तथा जब आवेदक तहसील में उपस्थित हुआ एंव एक दो पेशियों के वाद अभिभाषक को सीमांकन की प्रति उपलब्ध कराई गई। आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा-5 में दिया गया विवरण यह समाधान नहीं कराता कि जब 12-9-14 को आवेदक को धारा 250 का नोटिस मिल चुका एंव

आवेदक तहसील न्यायालय में उपस्थित हो चुका है परिलक्षित है कि उसे 12-9-14 को धारा 250 के दावे के ज्ञान के साथ सीमांकन आदेश का भी ज्ञान हो चुका है किन्तु उसके व्दारा दिनांक 1-1-15 को निगरानी प्रस्तुत की गई है एंव 12-9-14 से 1-9-15 के के बीच के दिनों का दिन-प्रतिदिन का हिसाव भी नहीं दिया है जिसके कारण निगरानी अवधि-वाह्य है। यदि राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश दिनांक 10-7-14 को गुणदोष के आधार पर भी विचार में लिया जाय - आवेदक के अनुसार विचाराधीन सीमांकन से उसकी भूमि प्रभावित होना बताया गया है तब आवेदक स्वयं् की भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख से अथवा अन्य राजस्व अधिकारी से कराने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत होने एंव सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक, वृत्त रैगॉव तहसील रघुराजनगर जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 28 अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 10-7-2014 यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर